न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 51/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01 नारायणसिंह पुत्र किशोरसिंह जी 02 पुखराजसिंह पुत्र किशोरसिंह जी 03 गजेसिंह पुत्र किशोरसिंह जी 04 सांगसिंह पुत्र कल्याणसिंह जी 05 मोहनसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह 06 अमरसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जी 07 हरिसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जी 08 भंवरसिंह पुत्र भीमसिंह जी 09 चन्दनसिंह पुत्र भीमसिंह जी जाति राजपूत निवासीगण दईपड़ा खिचीयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01 उम्मेदसिंह पुत्र नारायणसिंह जी जाति राजपूत निवासी गांव मीठड़ास तहसील रामगढ़ जिला सीकर। 02 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत घोषणा एवं रेकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

5. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित
6. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक – 6/1/2021

अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी द्वारा वाद बाबत घोषणा हेतु पेश किया जिस पर प्रतिवादी को तलब किया। बाद तामील के प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। इस कारण प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए गये। बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर बहस करते हुए अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा नं 104 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम दईपड़ा खिचीयान तहसील लूणी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि थी। वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी के मध्य अच्छे मधुर घरेलू संबंध थे। प्रतिवादी को अपनी घरेलू आवश्यकता होने के कारण उपरोक्त भूमि को वादीगण के पिता किशोरसिंह एवं कल्याणसिंह 04.02.1976 को बेचान कर दी तथा बेचाननामा निष्पादित कर दिया तथा कब्जा वादीगण के पिता को सुपुर्द कर दिया। मय खरीद से ही वादीगण के पिता उक्त भूमि पर बहैसीयत खातेदार काबिज है तथा उनके देहान्त के बाद वादीगण काबिज है परन्तु वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही किया गया तथा अब राजस्व कर्मचारी आना कानी करने लग गये। ऐसी स्थिति मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे ।

पत्रावली मे प्रयुक्त जमाबंदी मे खसरा नं 104 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदसिंह का नाम दर्ज है तथा स्वयं उम्मेदसिंह द्वारा उक्त 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

बेयान दिनांक 04.02.1978 को किशोरसिंह एवं कल्याणसिंह को किया गया। जिसका लिखत पत्रावली पर पेश है। जिसे वादीगण ने प्रदर्शित किया है। वादीगण ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र मे भी समान कथन किए एवं वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों की ताईद की। खसरा नं 104 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा ग्राम दईपड़ा खिचीयान की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने खातेदारी अधिकार जरिये बेयान के वादीगण के पिता ने विक्रय कर दिए परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत बेयाननामा पंजीबद्ध नही है साथ ही मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। वादी द्वारा कब्जा काश्त के सबन्ध मे कोई साक्ष्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया । ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/1/2021 को खुले इजलास मे सुनाया गया।

एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

06/02/21

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner